सूखा मुक्ति अभियान

गाँव का पानी - गाँव का अधिकार

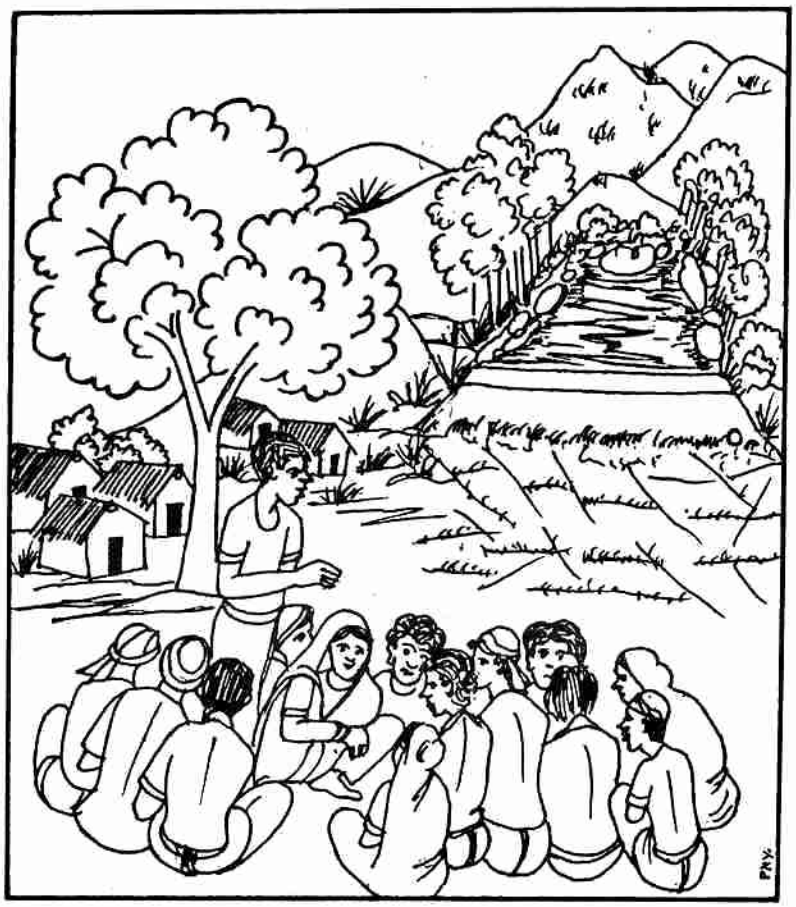

जिला-ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)

पलामू (बिहार)

1993-94

उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी
जिला पलामू
बिहार - भारत
डालटनगंज ८२२१०१
DEPUTY COMMISSIONER
&
DISTRICT MAGISTRATE
PALAMAU DISTRICT
BIHAR - INDIA
DALTONGANJ - 822101
Tel : (06562) Off. 24033, Res. 24044
Fax 06562-21060

ए० सन्तोष मंथ्यू , भा० प्र० से०
A. SANTHOSH MATHEW, I.A.S.

पत्रांक 156 / साहाय्य प्र.

सेवा में,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/
सभी बैंक के ब्रांच मैनेजर/सभी पानी पंचायत के अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, सदस्यगण एवं सचिव।

विषय : सूखा मुक्ति अभियान वर्ष 1993-94 की रुपरेखा।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पलामू जिला प्रशासन के द्वारा वर्ष 1993-94 में सूखा मुक्ति के लिए समग्र जल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आहर, छोटे बांध, कोड़कर, गली प्लग, लैंड रेक्लेमेशन जैसे विभिन्न जल एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है।

इस योजना को कारगर ढंग से लागू करने के लिए इसकी एक रुपरेखा तैयार की गई है जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारियों के कृत्व एवं दायित्वों का वर्णन विस्तृत रुप से किया गया है। यह रुपरेखा इस पुस्तिका के रुप में आपके हाथों में है। अपेक्षा की जाती है कि इसमें दिए गए नियमों, विधियों तथा प्रावधानों से भलीभाँति अवगत होकर इस अभियान को पूर्ण रुप से सफल बनाने हेतु अपना सक्रिय सहयोग जिला प्रशासन को देंगे।

शुभकामनाओं सहित।

विश्वासभाजन

(ए. संतोष मैथ्यू)
उपायुक्त, पलामू।

भूमिका

कार्यक्रम

पलामू के विकास में सूखा एक बड़ी बाधा है। लेकिन पलामू में सूखे के वर्षों में भी फसलों और अन्य पौधों के भरपूर उत्पादन के लिये विश्वसनीय तरीके से सिंचाई हो सकती है। इसके लिये समग्र जल संचय एक उचित योजना है। यहाँ स्थानीय लोगों को कृषि का सदियों का अनुभव है एवं अपने पर्यावरण का अच्छा ज्ञान भी है। इस परम्परागत् ज्ञान एवं जल संरक्षण तकनीक को मिलाकर पलामू प्रशासन ने वर्ष 1993-94 में सूखा (मुक्ति) के लिये एक समग्र जल संरक्षण योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत आहर, छोटे बाँध, कोड़कर, गली प्लग, लैंड रेक्लेमेशन जैसे विभिन्न जल एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।

जिला प्रशासन के इस कार्यक्रम के मुख्य लाभान्वित लोग हरिजन तथा आदिवासी होंगे।

लोगों की भागीदारी

अनुभव यह बताता है कि सफल ग्राम विकास के लिये गाँववालों की भागीदारी आवश्यक है। गाँव की सच्ची भागीदारी के लिये ग्रामवासियों की सहमति से बनी योजना को गाँव के एक संगठन (पानी पंचायत) द्वारा कराने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। परियोजना में गाँव वालों को अपना अधिकार जताने एवं भागीदारी निभाने के लिये श्रमदान करना होगा।

सूखा मुक्ति अभियान

- पारम्परिक ज्ञान
- लोगों की भागीदारी
- लोगों द्वारा बनाई योजना
- पानी पंचायत
- श्रमदान
- संपूर्ण विकास हेतु ग्राम कोष
- जल संरक्षण

संपूर्ण विकास ग्राम कोष

संपूर्ण ग्राम विकास का एक आधार आत्मनिर्भरता है। इसके लिए ग्रामवासी कार्यक्रम के शुरु में श्रमदान करके ग्राम कोष इकट्ठा कर सकते हैं। इस ग्राम कोष का विस्तार और नियंत्रण गाँववासियों के हाथों में रहेगा। (पृष्ठ 4 पर भी देखिये)

गाँव का अधिकार

इस कार्यक्रम में गाँव के हाथ में अधिकार सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। गाँव के लोग अपने बनाए संगठन (पानी पंचायत) से इस कार्य को चलाएंगे।

पानी पंचायत

पानी पंचायत गाँव का एक स्थायी संगठन होगा, जिसके माध्यम से यह समग्र जल संरक्षण योजना बनेगी। यह संगठन नये प्रस्तावित कार्यक्रम के अलावा पुराने सिंचाई प्रबंधों (जैसे - आहर, तालाब, चैकडैम इत्यादि) की देख रेख तथा गाँव के विकास के लिये और भी कार्य कर सकता है।

पानी पंचायत का स्वरुप निम्न प्रकार होगा :-

सदस्यता

- चयनित गाँव के निवासी यह तय करेंगे कि पानी पंचायत गाँव के बीच, टोलों के बीच या कुछ टोलों के बीच हो।
- लाभान्वित गाँव अथवा टोले के सभी घरों से एक पुरुष और एक महिला पानी पंचायत के सदस्य होंगे।
- पानी पंचायत के प्रत्येक सदस्य की सदस्यता शुल्क मात्र 2 रु. (प्रत्येक परिवार से 4 रु.) होगी।

पानी पंचायत कार्यकारिणी समिति

- पानी पंचायत के सदस्य पाँच से ग्यारह व्यक्तियों की एक कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेंगे।
- इस समिति में हरिजन और आदिवासियों का बहुमत अनिवार्य है।
- इस समिति में कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है।
- पानी पंचायत इस कार्यकारिणी समिति के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।
- अध्यक्ष को हरिजन या आदिवासी होना आवश्यक है।
- कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष पानी पंचायत की सभा की अध्यक्षता करेगा एवं कार्य की निगरानी रखेगा।
- उपाध्यक्ष पानी पंचायत द्वारा चलाये जा रहे कार्यों का हिसाब रखेगा।

पानी पंचायत की कार्यकारिणी समिति

- सदस्य : 5 से 11 तक
- कम से कम एक महिला सदस्य
- चुनाव : हर साल
- अध्यक्ष : हरिजन या आदिवासी
- उपाध्यक्ष : कोई भी ग्रामवासी
- चेक पर हस्ताक्षर करने वाले दो व्यक्ति
- सचिव ग्राम शिक्षक या अन्य सरकारी सेवक

- पानी पंचायत के सदस्य कार्यकारिणी के दो सदस्यों को (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को छोड़कर) बैंक के चेक पर हस्ताक्षर करने के लिये चुनेंगे।
- पानी पंचायत के सदस्यों को कार्यकारिणी समिति से किसी भी व्यक्ति को हटाने और बदलने का अधिकार है। इसके लिये पानी पंचायत की आम सभा में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। इस प्रस्ताव की एक प्रति डी.सी., पलामू एवं एक प्रति बी.डी.ओ. को भेजनी होगी।

सचिव

- पानी पंचायत में सरकार का प्रतिनिधित्व एक सचिव करेगा।
- लाभान्वित गाँव या पास के गाँव के सरकारी स्कूल का शिक्षक पानी पंचायत का सचिव होगा।

- शिक्षक की अनुपस्थिति में अथवा पानी पंचायत द्वारा शिक्षक नापसंद होने पर पानी पंचायत किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को सचिव चुन सकती है।

- सचिव पानी पंचायत द्वारा चलाये जा रहे कार्यों की निगरानी रखेगा।
- पानी पंचायत को, सचिव को बदलने का अधिकार होगा।
- सचिव को बदलने हेतु पानी पंचायत आम सभा में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी। प्रस्ताव की एक प्रति डी.सी., पलामू तथा एक प्रति बी.डी.ओ. को भेजनी होगी।
- सचिव बैठक से पैसा निकासी के लिये अध्यक्ष द्वारा दिये गये स्वीकृति पत्र और मांग पत्र (अधिक जानकारी पृष्ठ 4 पर) की जांच कर बैंक के चेक पर हस्ताक्षर करेगा।
- सचिव अध्यक्ष द्वारा दिये गये स्वीकृति पत्र को अपने पास रखेगा।
- सचिव, पानी पंचायत को हिसाब रखने में भी मदद करेगा।
- सचिव को कोई भी संदेह अथवा परेशानी होने पर वह बी.डी.ओ. और डी.सी., पलामू को अवगत करायेगा।
- पानी पंचायत द्वारा चुनी हुई कार्यकारिणी समिति एवं सचिव अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए एक प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे।

श्रमदान

इस परियोजना में अपना अधिकार जताने के लिये गाँव की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। श्रमदान इस भागीदारी का एक प्रतीक है।

- चेक डैम निर्माण के लिये श्रमदान के रुप में निम्न कार्य आवश्यक हैं :-

  1. बाँध स्थल की सफाई एवं कोड़ाई
  2. नींव की खुदाई
  3. चिकनी मिट्टी से भराई।

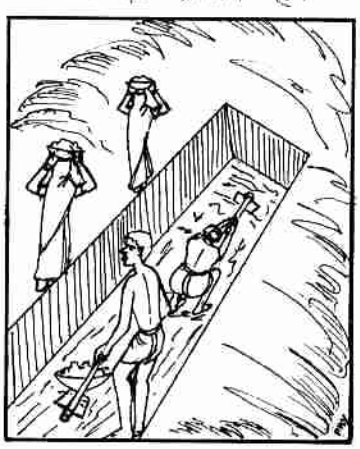

- श्रमदान पूरा होने पर ही योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी।
- अन्य कार्यों के लिये श्रमदान कार्यस्थल पर ही तय होगा।
- पानी पंचायत की यह कोशिश रहेगी कि वह कुल लागत राशि का दस प्रतिशत हिस्से के बराबर कार्य के लिये श्रमदान करेगी एवं इस राशि को ग्राम कोष में जमा करेगी।

ग्राम कोष

ग्राम कोष ग्रामवासियों का एक सामूहिक कोष होगा जिसे गाँव के विकास के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कोष गाँव की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करेगा। इस कोष की देख रेख एवं उपयोग ग्रामवासियों के हाथ में रहेगा। इस कोष का भविष्य में इस्तेमाल अनेक कार्यों के लिये किया जा सकता है जैसे (1) प्रस्तावित एवं पुरानी सिंचाई प्रबंधों की देखरेख, (2) आकस्मिक विपत्ति, खेती के लिए खाद, बीज या डीजल पम्प इत्यादि।

ग्राम कोष की संरचना

- सदस्यता शुल्क
- नींव तक श्रमदान
- सदस्यों का योगदान

- ग्राम कोष की शुरुआत पानी पंचायत की सदस्यता शुल्क से होगी। पानी पंचायत के प्रत्येक सदस्य को सदस्यता शुल्क के रुप में 2 रु. (दो रुपये) जमा करने होंगे।
- श्रमदान के रुप में किये गये वास्तविक कार्य की राशि ग्राम कोष में जमा की जाएगी।
- प्रत्येक पानी पंचायत का यह दायित्व है कि वह ग्राम कोष को सुदृढ़ करे तथा इस कोष में अधिक से अधिक पैसा जमा करे।
- प्रत्येक पानी पंचायत के सदस्य को इस कार्यक्रम के दौरान ग्राम कोष में योगदान देना चाहिए। जो सदस्य मजदूरी करेंगे वे अपनी मजदूरी का कुछ अंश (जो पानी पंचायत द्वारा तय होगा) इस ग्राम कोष में जमा करेंगे। जो सदस्य मजदूरी नहीं करेंगे वे अपना हिस्सा ग्राम कोष में जमा करेंगे।

कार्य संचालन

- श्रमदान पूरा होने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।
- प्रस्ताविक कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही बी.डी.ओ. द्वारा पानी पंचायत और बी.डी.ओ. का संयुक्त खाता (ई. या एस.) गाँव के निकटतम बैंक में खोला जाएगा।
- पानी पंचायत ग्राम कोष के लिए एक अलग खाता खोलेगी।
- श्रमदान में हुए कार्य की जे.ई. द्वारा मापी होने पर श्रमदान की राशि पानी पंचायत अपने खाते से निकाल कर ग्राम कोष खाते में जमा कर सकती है।

अग्रिम राशि

श्रमदान के बाद, पानी पंचायत 15000/- रु. तक अग्रिम राशि बैंक से

निकाल सकेगी। यह राशि ग्राम कोष में जमा की गई श्रमदान राशि के अलावा होगी। यह राशि नापी होने तक मजदूरों को खुराकी के रुप में दिया जा सकता है। नापी हो जाने पर मजदूरों की शेष राशि का भुगतान कर अग्रिम राशि का समायोजन करना होगा जिसको अगली बार फिर खुराकी के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

मेठ

- प्रस्तावित कार्य के लिए मजदूरों का प्रबंध एवं उनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए पानी पंचायत प्रत्येक 30 मजदूरों पर एक मेठ का चुनाव करेगी।
- मेठ अपने अधीन मजदूरों के कार्य की निगरानी करेगा और हर सप्ताह खन्ता मापी करके हिसाब उपाध्यक्ष को देगा।

अग्रिम राशि

- माना कि श्रमदान कार्य का मूल्य 7000/- (सात हजार) रुपये है तो बैंक से पहला निकासी होगा - 7000/- + 15,000/- अग्रिम राशि = 22,000/- रु.।
- अब मानो कि अगली मापी में 675 चौके हुए जिसका मूल्य 21,987.50 रु. हुआ।
- माना कि अग्रिम राशि 15,000/- रु. को मजदूरों के बीच खुराकी के रुप में दे दिया गया तो मजदूरों को राशि मजदूरी भुगतान 21,987.50-15000/-=6987.50 होगा। तथा शेष 15,000/- रु. पुनः अग्रिम राशि होगा जिसे तीसरी मापी तक मजदूरों को खुराकी दिया जा सकता है।

नापी कार्ड

- कार्य के नापी एवं पैसे की निकासी का विवरण नापी कार्ड में दर्ज किया जायेगा। यह कार्ड पानी पंचायत अध्यक्ष के पास रहेगा। यह कार्ड पासबुक के साथ संलग्न होगा। बैंक में चेक के साथ पासबुक भी दिखाना अनिवार्य है। बैंक से पैसा निकालने के बाद बैंक मैनेजर नापी कार्ड पर कुल निकाली गई राशि दर्ज कर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा कार्ड अध्यक्ष/पानी पंचायत को वापस करेगा।

बिल

- बैंक से हर निकासी के समय सचिव नापी कार्ड में की गई प्रविष्टि का ठीक नकल बिल में करके अपने हस्ताक्षर करेगा एवं अध्यक्ष और जे.ई. से हस्ताक्षर लेगा। यह बिल पासबुक के साथ संलग्न होगा एवं बैंक में जमा हो जाएगा।

कार्य संचालन विधि

प्रस्तावित कार्य के संचालन की जिम्मेदारी पानी पंचायत कार्यकारिणी

समिति की होगी। कार्य संचालन और पैसे निकालने की विधि निम्न प्रकार है:

- मेठ प्रत्येक सप्ताह के अन्त में अपने अधीन मजदूरों का खन्ता मापी कर कुल भुगतान राशि का हिसाब करेंगे और उपाध्यक्ष से इसकी मांग करेंगे।
- उपाध्यक्ष प्रत्येक मेठ से हिसाब लेगा और उनकी मदद से 'मस्टर रोल' तैयार कर कुल राशि तय करेगा।
- उपाध्यक्ष लिखित रुप से मांग पत्र (नीला फार्म) में कुल राशि दर्ज करके अध्यक्ष से पैसे की मांग करेगा।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा दिये गए मांग पत्र की जाँच करेगा।
- अध्यक्ष प्रशिक्षण पाये हुए पानी पंचायत के दो व्यक्तियों से कार्य की मापी करायेगा एवं नापी पानी पंचायत की एम.बी. में दर्ज करायेगा।
- अध्यक्ष जे.ई. से उनके नापी के आधार पर पानी पंचायत की नापी जो एम.बी. में होगी को सही करवायेगा।
- अगर पानी पंचायत जे.ई. भी मापी से असंतुष्ट हो तो, इस विषय को बी.डी.ओ. एवं डी.सी., पलामू को अवगत करायेंगे।
- अध्यक्ष स्वीकृति राशि को स्वीकृति पत्र (हरा फार्म) में दर्ज करके अपना हस्ताक्षर करेगा।
- अध्यक्ष स्वीकृति पत्र एवं पानी पंचायत के एम.बी., चेक हस्ताक्षर करने वाले किसी एक व्यक्ति को दिखाकर चेक पर हस्ताक्षर करायेगा।
- अध्यक्ष स्वीकृति पत्र, नापी कार्ड एवं चेक को सचिव को देगा। सचिव स्वीकृति पत्र की जाँच करके नापी कार्ड भरेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा।
- सचिव स्वीकृति पत्र को अपने पास रखेगा तथा पैसा निकालने की व्यवस्था करेगा।
- सचिव पानी पंचायत के हिसाब किताब रखने में अध्यक्ष की मदद करेगा।

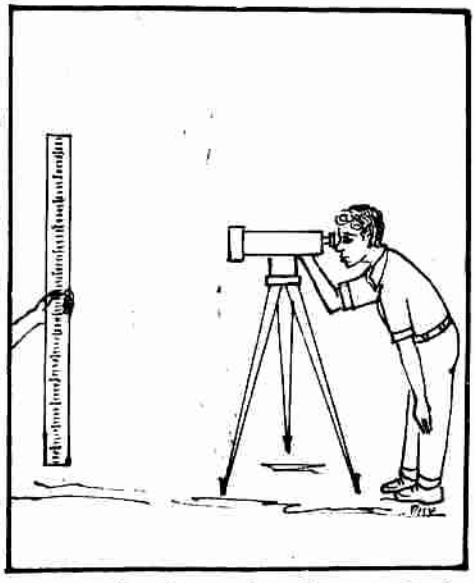

- जे.ई. ज्यादा से ज्यादा पन्द्रह दिन के अन्दर कार्य की नापी करेगा। जे.ई. पानी पंचायत की नापी को अपनी नापी के आधार पर सही करेगा। यदि इन 15 दिनों में कोई कार्य नहीं भी हुआ हो तो भी जे.ई. नापी अवश्य लेगा।
- अगर पन्द्रह दिन में जे.ई. द्वारा नापी नहीं होती है तो इस विषय को लिखित शिकायत पानी पंचायत बी.डी.ओ. या बड़ा बाबू (हेड क्लर्क) को देकर पावती रसीद ले लें।
- अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक पन्द्रह दिन में इस तरह की शिकायतों को

जमा कर, मंगलवार को होने वाले टास्क फोर्स की मिटींग में डी.सी. को अवगत करायेंगे।

- अगर दोनों नापी में अंतर है तो जे.ई. पानी पंचायत की एम.बी. में उनकी नापी को काटकर सही करेगा और अपने एम.बी. से मिलान करके अपने हस्ताक्षर करेगा।
- जे.ई. नापी कार्ड और बिल में नापी दर्ज करके नापी के संबंध में अपने हस्ताक्षर करेगा।
- नापी कार्ड एवं बिल पर वित्तीय विवरण के संबंध में अध्यक्ष और सचिव हस्ताक्षर करेंगे।
- बैंक के चेक पर हस्ताक्षर करने वाले पानी पंचायत कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं सचिव होंगे।

बैंक से पैसों की निकासी

- सचिव एवं बैंक के चेक पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति बैंक में चेक, पासबुक, नापी कार्ड तथा बिल प्रस्तुत करेंगे एवं पैसा निकलवा लेंगे।
- प्रत्येक निकासी के समय कार्ड बैंक में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिस पर बैंक मैनेजर निकासी राशि प्रविष्टि कर हस्ताक्षरोपरांत लौटा देंगे।
- हर बार नापी कार्ड पर जे.ई. द्वारा दर्ज की गई राशि के आधार पर बैंक से निकासी होगी।
- यदि चेक पर नापी कार्ड में दर्ज की गई राशि से ज्यादा की रकम हो, तो उस पर बी.डी.ओ. का हस्ताक्षर होना भी जरुरी होगा।
- सचिव की जिम्मेदारी होगी कि नापी कार्ड में दर्ज किए गये कार्य के मूल्य के बराबर की राशि ही चेक पर चढ़ी हो और हस्ताक्षर हुआ हो।
- पहली किस्त में श्रमदान राशि के अलावा 15,000/- रु. की अग्रिम राशि भी निकालनी होगी। श्रमदान राशि ग्राम कोष में जमा की जायेगी और अग्रिम राशि का मजदूरों की खुराकी के लिए उपयोग किया जायेगा।

ब्रांच मैनेजर

- बी.डी.ओ. एवं पानी पंचायत का संयुक्त खाता ई. या एस. विधि पर खोला जायेगा।
- बी.डी.ओ. जरुरत पड़ने पर बिना शर्त इस खाते से निकासी कर सकता है जबकि पानी पंचायत को निकासी करने के लिये नापी कार्ड, चेक, पास बुक एवं बिल की आवश्यकता होगी। बिल, नापी कार्ड एवं पास बुक प्रस्तुत होने पर ब्रांच मैनेजर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्तावित माँग राशि नापी कार्ड में जे.ई. द्वारा दर्ज की गई राशि के बराबर है या

नहीं। ब्रांच मैनेजर कार्ड में राशि प्रविष्टि कर हस्ताक्षरोपरांत कार्ड लौटा देंगे एवं ऐसी ही प्रविष्टि बिल में करेगा और भविष्य के लिये बैंक में रख लेगा।

- यदि पानी पंचायत पहली निकासी के अलावा नापी कार्ड में दर्ज की गई राशि से ज्यादा पैसे की निकासी चाहता है, तो चेक पर बी.डी.ओ. का हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है। परन्तु यह सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही होगा।
- बैंक, चेक पर हस्ताक्षर करने वाले पानी पंचायत के सदस्य को पैसा देगा।

मजदूरी वितरण

- बैंक से निकाली गई राशि का धारक एवं संरक्षक चेक पर हस्ताक्षर करने वाला पानी पंचायत सदस्य होगा।
- पानी पंचायत के अन्य कार्यकारिणी सदस्य इस कार्य में मदद करेंगे।
- एम.बी. में कार्य की नापी के आधार पर उपाध्यक्ष मेठ द्वारा दिये गये खन्ता मापी की मेल मिलाप करेगा। क्योंकि खन्ता मापी एवं बाँध मापी में अंतर होना स्वाभाविक है इसलिये इन दो मापियों में मेल मिलाप होना आवश्यक है।

- माना की तीन मेठों अ,ब,स, खन्ता मापी के आधार पर 1000 रु. का हिसाब देते हैं।
  मेठ अ के अधीन मजदूर 400 रु. का कार्य करते हैं।
  मेठ ब के अधीन मजदूर 350 रु. का कार्य करते हैं।
  मेठ स के अधीन मजदूर 250 रु. का कार्य करते हैं।
  अब माना कि बाँध मापी के आधार पर 900 रु. का एम.बी. होता है।
- 100 रु. के अंतर को प्रत्येक मेठ के अधीन मजदूरों के कार्य के अनुपातिक काटा जाएगा।
- मेठ अ को उसके अधीन मजदूरों के लिए रु. 40 कटेगा।
  मेठ ब को अधीन मजदूरों के लिये रु. 35 रु. कटेगा।
  मेठ स को उसके अधीन मजदूरों के लिये रु. 25 रु. कटेगा।
  मेठ की मजदूरी देते हुए मजदूरों को मजदूरी से अनुपातिक रुप से पैसा कटेगा। ठीक किये गये मापी के आधार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव, मेठों की उपस्थिति में मजदूरों की मजदूरी का वितरण करेंगे।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं मेठ मजदूरी वितरण के बाद 'मस्टर रोल' पर हस्ताक्षर करेंगे।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष प्रत्येक माह पानी पंचायत की आम सभा बुलाएंगे एवं पानी पंचायत के समक्ष कार्य का ब्योरा एवं हिसाब पेश करेंगे।

मजदूरी

- प्रत्येक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 30 रु. 50 पैसा प्रति चौका होगी। ये भुगतान 2 किलो गेहूँ एवं शेष राशि नगद के रुप में होगी।
- सख्त मिट्टी, लीड, लिफ्ट इत्यादि का भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर प्राक्कलन में दिए गए दर के आधार पर होगा।

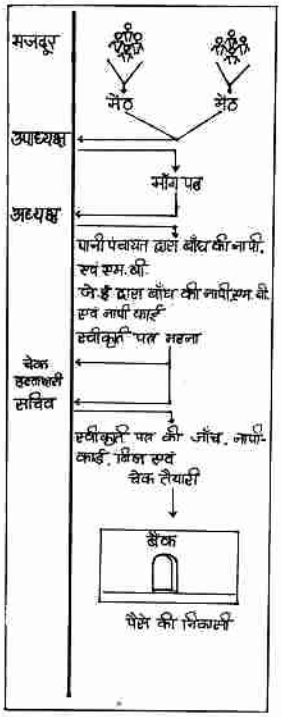

कार्य संचालन

- हर तीस मजदूरों में एक मेंठ।
- खन्ता नापी का हिसाब उपाध्यक्ष को देना।
- सब मेंठों की नापी जोड़ कर कुल राशि माँग पत्र में भरना।
- माँग पत्र जाँच, पानी पंचायत द्वारा नापी एवं जे.ई. द्वारा बाँध नापी कराना।
- जे.ई. बाँध का नापी करके पानी पंचायत की नापी सही करना एवं एम.बी., नापी कार्ड भरना।
- एम.बी. की राशि को स्वीकृति पत्र में दर्ज करके चेक हस्ताक्षरी के साथ सचिव के पास ले जाना।
- स्वीकृति पत्र की जाँच कर, नापी कार्ड, बिल और चेक बनाना।
- पैसा निकासी की व्यवस्था करना।

लीड लिफ्ट क्या है –

लीड : खन्ता एवं बाँध की दूरी को लीड कहते हैं।

लिफ्ट : खन्ता के स्तर से बाँध के स्तर के बीच की ऊँचाई को लिफ्ट कहते हैं।

सख्त मिट्टी, लीड, लिफ्ट की प्राक्कलन सूची के दर इस प्रकार हैं :-

पहला लीड (100-200 फीट के अन्दर)=रु.30.50+रु.2.55=33.05 / चौका
दूसरा लीड (200-275 फीट के अन्दर)=रु.30.50+रु.5.10=35.60 / चौका
पहला लिफ्ट (5-10 फीट के अन्दर)=रु.30.50+रु.2.55=33.05 / चौका
दूसरा लिफ्ट (10-13.5 फीट के अन्दर)=रु.30.50+रु.5.10=35.60 / चौका
तीसरा लिफ्ट (13.5-17 फीट के अन्दर)=रु.30.50+रु.7.65=38.15 / चौका
सख्त मिट्टी = रु. 33.61 प्रति चौका
दूरमुस = रु. 7.25 प्रति चौका।

लीड

1. माना कि एक मजदूर 100 फीट से ज्यादा परन्तु 200 फीट के अन्दर की दूरी से मिट्टी लाकर 5 फीट की ऊँचाई तक फेंक रहा है तो इसकी मजदूरी 30.50+2.55 (एक लीड) = 33.05 होगी।
2. माना एक मजदूर 200 फीट से ज्यादा परन्तु 275 फीट के अंदर की दूरी से मिट्टी लाकर 5 फीट की ऊँचाई तक फेंक रहा है तो उसकी मजदूरी 30.50+2.55+2.55 = 35.10 रुपये होगी।

   इसी तरह प्रत्येक 75 फीट की दूरी बढ़ जाने पर रु. 2.55 की मजदूरी में बढ़ोत्तरी होगी।

लिफ्ट

3. माना एक मजदूर 5 फीट के ऊपर परन्तु 10 फीट के अंदर 100 फीट की दूरी से लाकर मिट्टी फेंक रहा है तो उसकी मजदूरी रु. 30.50 + रु. 2.55 = 33.05 होगी।
4. माना एक मजदूर 10 फीट से ऊपर मगर 13.5 फीट से नीचे 100 फीट के अंदर की दूरी से मिट्टी लाकर फेंक रहा है तो उसकी मजदूरी 30.50 + 2.55 + 2.55 = रु. 35.10 होगी।

इस तरह प्रत्येक 3.5 फीट बढ़ने से रु. 2.55 की मजदूरी में बढ़ोत्तरी होगी।

माना एक मजदूर 150 फीट की दूरी से मिट्टी लाकर 13.5 फीट की ऊँचाई पर फेंक रहा है तो इसकी मजदूरी 30.50+2.55 (एक लीड) + 2.55 (एक लिफ्ट) = रु. 35.10 होगी।

कुल लीड, लिफ्ट का भुगतान प्राक्कलन सूची में दी गई राशि से अधिक नहीं होगी।

मेठ

- मेठ को अपने अधीन मजदूरों द्वारा किये गये कार्य के लिए प्रति रु. 30.50 पर 1 रु. देय होगा।
- मेठ की उपस्थिति की प्रविष्टि 'मस्टर रोल' पर अलग से होगी तथा भुगतान भी अलग से होगा।

शिकायत के लिए

- पानी पंचायत अपनी शिकायत बी.डी.ओ. को देंगे एवं उसकी एक प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जल संरक्षण कोषांग, साहाय्य शाखा, समाहरणालय, डालटनगंज को भेजेंगे।
- इस कार्यक्रम से संबंधित शिकायत, उपायुक्त, पलामू, उप विकास आयुक्त, प्रभारी पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी हर मंगलवार 10.30 बजे से 2 बजे के बीच अपने कार्यालय में सुनेंगे।
- शिकायत पेश करते समय नापी कार्ड साथ लाना होगा।

सरकारी कार्यों में जब आम जनता भागीदार बनती है तो उनको अनेक लाभ होते हैं। लेकिन इस लाभ को पाने के लिये अनेक प्रकार के खाते और हिसाब-किताब रखने पड़ते हैं। किन्तु ऐसे कार्यों से दीर्घकालीन लाभ भी मिलते हैं। आशा है कि आप सभी के सहयोग से यह अभियान सफल हो सकेगा।

जानकारी के लिए

इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, पानी चेतना मंच, एस.पी. कोठी रोड, आबादगंज, डालटनगंज में संपर्क करें।

तकनीकी सहयोग : लोक विज्ञान संस्थान, 252-वसंत विहार-1, देहरादून-248006

कैलाश पेपर कन्वर्सन (प्रा.) लि., राँची द्वारा मुद्रित